

77/24

27/24

Count
Amount

27
21.05.24

27/8/2024

उपरोक्त वकील वादी के निवेदन पर तदनुषंग की गयी वकील वादी ने निवेदन किया कि इलाहाबाद प्रकरणा में उक्त पदावली के प्रथम आपसी शहनामा के अन्तर्गत पराधीनता है जो है। इसी कारण वादी वाड आगे चलना नहीं चाहें हैं। अतः वकील वादी स्वार्थिक किया जावे। अतः वकील वादी को मुक्ति और उपरोक्त का शहनामा देना। अतः वकील वादी अपना वाड-पत्र आगे चलाना नहीं चाहें हैं। यह अभी पारस्परिक स्वरूप पर ही निष्पत्ती नहीं चल रहा है। ठीकी दूरत में इलाहाबाद प्रकरण को हाथ धरनी तरीक पर लीक व्यापक वादी का वाड इली स्तर पर स्वार्थिक किया जावे है।

उपरोक्त पत्रावली के अन्तर्गत
 वकील वादी के अन्तर्गत

27/8/24
 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

